वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में 29 जून 2024 को हाइब्रिड मोड़ में आयोजित 95 वाँ बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड के 95 वाँ बैठक हाइब्रिड़ मोड़ में 29 जून 2024 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बैठक सुबह 11.30 बजे शुरू हुए। श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस, अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष ने बैठक की अध्यक्षता की।

वर्तमान में बोर्ड के 15 सदस्यों में से, निम्नलिखित अधिकारियों ने ऑनलाइन भाग लिया:

i. श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस, अध्यक्ष
ii. श्री एस.के.सत्यनारायण, उपाध्यक्ष
iii. श्री के.जी. जगदिशा आईएएस, प्रभारी सचिव
iv. श्री एस तिरुमुरुगन, सदस्य
v. डॉ. नीलम पटेल, वरिष्ठ सलाहकार (कृषि) नीति आयोग, सदस्य
vi. डॉ. आर. दिनेश, निदेशक, आईसीएआर-आईआईएसआर, सदस्य
vii. डॉ वनलालरामसंगा आईईएस, वित्त सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सदस्य
viii. डॉ. अत्या नंद, निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सदस्य
ix. श्री गौतम घोष, सदस्य (ऑनलाइ भाग लिया)
x. श्री चंद्रशेखर सिंह रघुवंशी, सदस्य (ऑनलाइ भाग लिया)
xi. श्री राजेश कुमार मिश्रा, निदेशक भारतीय पैकेजिंग संस्थान, सदस्य
xii. डॉ प्रभत्त कुमार, बागवानी आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सदस्य (ऑनलाइ भाग लिया)

इसके अतिरिक्त, बोर्ड के निम्नलिखित निदेशक अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में उपस्थित हुए:

i. डॉ. ए.बी. रेमा श्री, प्रभारी निदेशक (अनुसंधान एवं वित्त)
ii. श्री बशिष्ठ नारायन झा, प्रभारी निदेशक (विपणन)
iii. श्री धर्मेन्द्र दास, निदेशक (विकास)

मद सं. 1 कोच्ची में 30 जनवरी को हाइब्रिड मोड पर हुई 94 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण

बोर्ड ने कार्यवृत्त का पुष्टीकरण किया।

मद सं. 2 कृत कार्रवाई रिपोर्ट

2.1 गुंटूर के मसाला पार्क में अग्निशमन प्रणाली के दुरस्त बनाने के संबंध मेंस निदेशक (विपणन) ने बताया कि सीपीडब्यूडी से अनुमान जल्द ही प्राप्त होंगे। अग्निशमन कार्य शीघ्र ही पूरा करना होगा और अगले बोर्ड बैठक में समीक्षा के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

2.2 स्पाइसेस बोर्ड से लाईसेन्स प्राप्त किए बिना आयोजित नीलाम के संबंध में, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव ने बताया कि कानूनी सलाहकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार दोनों फर्मों को निरीक्षण एवं उनके न्यायिक वैधता जांच करने के लिए अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया है। फर्मों का निरीक्षण पूरा करना है और 45 दिनों के अंदर टीम के निष्कर्ष पर आधारित कार्रवाई लेना चाहिए जिसके लिए बोर्ड ने सचिव को अधिकार सौंपे हैं।

2.3 पूलिङ केन्द्रों में धन वापसी के विवरण और नमूना संकलन के प्रदर्शन से संबंधित जारी परिपत्र के संबंध में, अध्यक्ष ने पूलिंङ केन्द्रों मे बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा यादृच्छिक निरीक्षण से अनुवीक्षण क्रियाविधि लेने की सुझाव दिया और नमूनाकरण में संकलित डेटा का विश्लेषण करना चाहिए और कामकाज आदि में सुधार लाने में निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाएगा। कृत कार्रवाई रिपोर्ड अगले बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करना चाहिए।

मद सं. 3 मसाला पार्क के कामकाज की स्थिति

3.1 निदेशक (विपणन) ने मसाला पार्क में स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और इकाइयों की स्थिति और इसके प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया। मसाला पार्क के वर्तमान प्रदर्शन को नोट करते हुए बोर्ड ने महसूस किया कि स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाई, भंडारण इकाइयाँ और इकाइयाँ के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए अध्ययन किए जाने की ज़रूरत है, ताकि पुराने/पुराने उपकरणों को नई मशीनों/प्रौद्योगिकियों से बदलने पर विचार किया जा सके, चुनौतियों की पहचान की जा सके और मसाला पार्कों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों आदि को स्पष्ट समयसीमा के साथ पहचाना जा सके।

3.2 मसाला पार्क के प्रदर्शन पर विस्तृत चर्चा के बाद स्पाइसेस बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिए

क) अध्ययन के लिए तीन सदसीय टीम द्वारा समस्या विवरण और उपयुक्त संदर्भ (टीओआर) तैयार करना, जिसे निर्धारित एजेंसी को सौंपा जाएगा।

ख) प्रत्येक मसाला पार्क का दौरा करने, प्रदर्शन का अकलन करने, चुनौतियों, वैकल्पिक आउटसोर्सिंग/ठेका/पीपीपी मॉडल के माध्यम से मसाला पार्क के संचालन की दक्षता बढ़ाने की

व्यवहार्यता का अध्ययन करने तथा पार्कों के प्रदर्शन में सुधार के लिए बोर्ड को तीन महीने के अंतर सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए निफप्टम या नाबकोन जैसे अन्य समान एजेंसी में से किसी एक को नियुक्त करना।

ग) कृत कार्रवाई आगले बोर्ड बैठक में रखना है।

3.3. निदेशक (विपणन) ने 94 वें बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार की गई कार्रवाई जैसे जारी की गई पत्रों की रद्दीकरण, जारी की गई समय विस्तार पत्र और भू धारकों को जारी की गई कारण बताओ नोटीस प्रस्तुत किया। निदेशक विपणन ने बताया कि आज तक कुल 16 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई(कार्यसूची में दी गई तालिका में दर्शाए अनुसार 14 और शिवगंगा में स्थित स्पाइसेस पार्क से दो प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई) और बोर्ड से अनुरोध किया कि निर्माण शुरू करने, भूखंड का अभ्यर्पण करने और पंजीकृत न की पट्टा कार्य न होने पर भी निर्माण के लिए समय विस्तार की मांग करने वाले भूखंड आंवटियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर निर्णय लिया जाए।

3.4 सचिव ने बोर्ड को बोर्ड की एमडी समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों से अवगत कराया।

क) जब भी भूखंड के आवंटन के लिए रूची की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है, तो आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों जैसे नहिला स्टार्ट आप कंपनियां आदि के लिए न्यूनतन वित्त टर्नओवर और वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षित तुलन पत्र) प्रस्तुत करना रूची की अभिव्यक्ति में दर्शाया जाना चाहिए। डीपीआर में हमेशा यूनिट स्थापित करने के लिए निधि का स्त्रोत और समयसीमा का संकेत दिया जाना चाहिए। भूखंड आवंटन पत्र में निम्नलिखित खंड शामिल करने का सुझाव दिया गया:

i) यदि आवेदक पात्रता की शर्तों को पूरा करता है, तो आवेदक को *अनंतिम आवंटन पत्र* इस शर्त के अधीन जारी किया जाएगा कि आवेदक बैंक ऋण के माध्यम से धन प्राप्त करने या अपने बैंक खाते में धन की उपलब्धता या योजना के तहत इकाई स्थापित करने के लिए योजना कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रमाण पत्र / अनुमोदन पत्र अनंतिम आवंटन पत्र जारी करने की तारीख से तीन महीने के भीतर दिखाएगा। यदि तीन महीने के भीतर धन के स्रोत का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनंतिम आवंटन स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा।

ii)*निधि जुटाने* का प्रमाण प्राप्त होने पर, बोर्ड अंतिम आवंटन पत्र जारी करेगा, जिसमें अंतिम आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू करने तथा अंतिम आवंटन पत्र से एक वर्ष के भीतर निर्माण पूरा करके व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की शर्त होगी। यदि

विलबं के लिए उचित औचित्य हैं, तो मामले के आधार पर अधिकतम छह महीने का समय विस्तार दिया जाएगा। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, तो भूखंड आवंटन स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

ख) जब भी कोई निर्यातक दो या दो से अधिक मसाला पार्कों में भूखंडों के आवंटन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, तो किसी अन्य पार्क में तब तक भूखंड आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि पहले से आवंटित भूखंड में इकाई पूरी होकर कार्यात्मक न हो जाए।

ग) समिति ने सिफारिश की कि यदि कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी भूखंड आवंटियों से कोई जवाब नहीं मिलता है तो भूखंड आवंटन रद्द कर दिया जाए।

घ) कारण बताओ नोटिस के संबंध में भूखंड आवंटियों से प्राप्त जवाबों के मामले में, उन्होंने औचित्य के साथ निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, समिति ने निर्माण पूरा करने और उत्पादन शुरू करने के लिए अधिकतम तीन महीने का समय विस्तार देने की सिफारिश की।

3.5 विस्तृत चर्चा के बाद बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिए:-

(क) बोर्ड ने सुझाव 'ग' को छोड़कर एमडी समिति के उपरोक्त सुझावों की मंजूरी दे दी।

(ख) जिन भूखंड आवंटियों ने भूखंडों के समर्पण का प्रस्ताव दिया था, उनके संबंध में बोर्ड ने समझौते में दिए गए नियबंधन व शर्तों के अनुसार भूखंडों के समर्पण को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

ग) जिन भूखंड आवंटियों ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया है, साथ ही जिन भूखंड आवंटियों ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन समय विस्तार का अनुरोध किया है, उनके संबंध में बोर्ड ने कानूनी सलाहकार की राय लेने और ऐसे भूखंड आवंटन को रद्द करने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसके अलावा, बोर्ड ने बोर्ड के सचिव को कानूनी राय के आधार पर इस संबंध में कार्रवाई करने और अगली बोर्ड बैठक से पहले प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार देने का फैसला किया।

मद संख्या 4: सिक्किम में मसाला कॉम्प्लेक्स की स्थापना की स्थिति

4.4 94 वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सिक्किम में मसाला कॉम्प्लेक्स की स्थिति पर अद्यतन देने के लिए सीपीडब्ल्यूडी से मुख्य अभियंता (सीई), सिलीगुड़ी और कार्यकारी अभियंता (ईई), गंगटोक श्री पीयूष चकमा वर्चुअल मोड के माध्यम से इस एजेंडे में शामिल हुए। मुख्य अभियंता ने

वर्तमान स्थिति, तय किए गए मील के पत्थर और परियोजना को लागू करने में चुनौतियों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

4.5 अध्यक्ष ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी से यह पुष्टि करने को कहा कि क्या सीपीडब्ल्यूडी द्वारा परियोजना को पूरा करने के लिए बताई गई समयसीमा यानी 31.07.2025 में उल्लिखित चुनौतियों को ध्यान में रखा गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सकारात्मक उत्तर दिया। इसके अलावा, अध्यक्ष ने अगले मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले परियोजना को पूरा करने के प्रयास करने की सलाह दी। सीपीडब्ल्यूडी को यह जांच करनी चाहिए कि काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो रहा है।

4.6 सचिव ने सीपीडब्ल्यूडी को परियोजना की निगरानी के लिए बोर्ड को पीईआरटी चार्ट भेजने को कहा। सीपीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता ने पीईआरटी चार्ट को स्पाइसेस बोर्ड को साझा करने पर सहमति व्यक्त की।
बोर्ड ने सिक्किम में मसाला कॉम्प्लेक्स परियोजना की स्थापना की वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिया और स्पाइसेस बोर्ड के सचिव को नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने और बोर्ड को रिपोर्ट करने को कहा।

मद संख्या 5: पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

5.1 निदेशक (विपणन) ने 2023-24 के दौरान मसालों के निर्यात प्रदर्शन को प्रस्तुत किया। वर्ष 2023-24 के दौरान मसालों के उच्च निर्यात प्रदर्शन को देखते हुए, अध्यक्ष ने बताया कि मैक्सिको को मिर्च के निर्यात में कथित कमी की जांच की जानी चाहिए, और निर्यात में कमी को दूर करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि मिर्च के मूल्य वर्धित उत्पादों और उनके गंतव्यों के निर्यात प्रदर्शन का विश्लेषण किया जा सकता है, ताकि कार्रवाई की जा सके।

5.2 मई 2023 की तुलना में मई 2024 के दौरान निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति के संबंध में, सचिव ने स्पष्ट किया कि चीन द्वारा बीज मसालों की अधिक खरीद के कारण मई 2023 के दौरान निर्यात असामान्य रूप से अधिक था और मई 2024 के दौरान निर्यात मई 2022 और मई 2021 में निर्यात से अधिक है। इसके अलावा, सचिव ने कहा कि मई 2024 के लिए मसालों के मदवार निर्यात की प्राप्ति के बाद निर्यात में गुणवत्ता-ईटीओ मुद्दे के प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा और मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।

5.3 आईआईएसआर के निदेशक डॉ. आर. दिनेश ने 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया।

5.4 डॉ. वनलारामसांगा, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से मसालों के उच्च निर्यात प्रदर्शन के बारे में प्रकाश डाला और मूल्य श्रृंखला (प्रसंस्कृत मसाले) को आगे बढ़ाकर और मिजो मिर्च आदि जैसे जीआई टैग वाले मसालों का लाभ उठाकर अमेरिका, यूरोपीय संघ आदि को निर्यात में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का सुझाव दिया।

5.6 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की निदेशक डॉ. अत्या नंद ने मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खरीदार देशों में भारतीय दूतावासों और सीआईआई के साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया।

5.7 विस्तृत चर्चा के बाद बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिए।

क) मेक्सिको को मिर्च के निर्यात में चुनौतियों का समाधान करना तथा निर्यात बढ़ाने के लिए मेक्सिको में मिर्च के आयातकों के साथ बीएसएम का संचालन करना।

ख) वर्ष 2030 तक मसालों में 10 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप/रणनीति विकसित करना, जिसमें कच्चे माल से निर्यात तक प्रत्येक चरण में मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाना, जीआई टैग वाले मसालों का लाभ उठाना तथा चिंतन शिविर में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखना तथा इसे अगली बोर्ड बैठक में रखना।

मद संख्या 6: 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में मसालों का आयात

6.1 निदेशक (विपणन) ने प्रस्तुत किया कि मूल्य संवर्धन के लिए कच्चे माल के आयात, घरेलू खपत, उच्च घरेलू मूल्य आदि के कारण 2023-24 के दौरान भारत में मसालों का आयात बढ़ गए । अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि मूल्य संवर्धन और पुनः निर्यात के लिए कच्चे माल के आयात में आने वाली बाधाओं की पहचान की जानी चाहिए और उचित स्तर पर उनका समाधान किया जाना चाहिए।

6.2 सदस्य श्री थिरुमुरुगन ने 2023-24 के दौरान भारत में छोटी इलायची के अधिक आयात पर चिंता व्यक्त की, जिससे घरेलू कीमतें प्रभावित होंगी और आयातित इलायची का भारतीय इलायची के रूप में पुनः निर्यात भी होगा। उन्होंने इसे रोकने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने गुणवत्ता मापदंडों और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विश्लेषण करके आयातित इलायची के भारतीय इलायची के रूप में पुनः निर्यात का अध्ययन करने का सुझाव दिया।

6.3 विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड ने मसालों के आयात का गहराई से अध्ययन करने का सुझाव दिया, अर्थात, कितना कच्चा माल और कितना मूल्य वर्धित रूप में आयात किया जाता है, तथा यह भी पता लगाने का सुझाव दिया कि क्या भारत से निर्यात किए गए कच्चे माल को घरेलू खपत के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में भारत में आयात किया जाता है।

मद संख्या 7: जोखिम न्यूनीकरण, निकासी और निपटान तंत्र पर वस्तु विनिमय और सेबी के विनियमों द्वारा अपनाई गई प्रणाली का अध्ययन करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट, जिसमें बीजी के विकल्प आदि शामिल हैं।

7.1 निदेशक (विपणन) ने विस्तारित बीजी समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत कीं और बताया कि वस्तु विनिमयों (वे भविष्य बाजार हैं जहां संविदा अवधि तीन से छह या उससे अधिक महीनों तक हो सकती है) में नीलामी बोर्ड द्वारा आयोजित इलायची नीलामी (एक स्पॉट मार्केट की तरह है) से अलग है। इसलिए, समिति ने उत्पादकों को भुगतान न किए जाने के जोखिम को कवर करने और लेनदेन निपटान के लिए जोखिम शमन उपकरण के तंत्र के रूप में बीजी (बैंक गारंटी) जारी रखने की सिफारिश की।

7.2 अध्यक्ष ने बताया कि इलायची की नीलामी में दो प्रकार के जोखिम होते हैं, अर्थात व्यापारियों द्वारा नीलामकर्ताओं को भुगतान न करना तथा नीलामकर्ताओं द्वारा उत्पादकों को भुगतान न करना। इसलिए इन जोखिमों से निपटने के लिए भुगतान हेतु एस्क्रो खाता प्रणाली की जांच करने का प्रस्ताव रखा गया।

7.3 सचिव ने नीलामी प्रणाली में उत्पादकों के बैंक खातों को जोड़ने का सुझाव दिया।

7.4 विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिए:

क) 94 वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इलायची नीलामीकर्ता के नए लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए मौजूदा बीजी राशि की गणना जारी रखना है ।

ख) एफपीओ श्रेणी (जिसमें प्रत्येक किसान सदस्य शेयरधारक है) से संबंधित नीलामियों को नीलामी में बीजी राशि के 200% तक पूल/व्यापार करने की अनुमति देना।

ग) बोर्ड ने उपर्युक्त दो निर्णयों और 94 वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए हितधारकों से परामर्श करने का सुझाव दिया, जिसमें उत्पादकों को भुगतान अवधि को मौजूदा 10 दिनों से घटाकर छह दिन करने और डीलर से नीलामीकर्ता को भुगतान पांच दिनों में करने का निर्णय लिया गया। हितधारकों के परामर्श के बाद, इलायची लाइसेंसिंग और विपणन नियम 1987 में संशोधन करने के लिए अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को एमओसी को भेजा जाएगा।

मद संख्या 8: आईटीसीपीसी नीलामीकर्ता से उनके सदस्य उत्पादकों से प्राप्त वचनबद्धता के आधार पर बीजी सीमा का पालन करने के संबंध में अभ्यावेदन

निदेशक (विपणन) ने पृष्ठभूमि, उत्पादकों से प्राप्त वचनबद्धता के आधार पर बीजी सीमा का पालन करने के लिए मैसर्स आईटीसीपीसी के अनुरोध, रिट याचिका दाखिल करने और माननीय न्यायालय के निर्देशों के बारे में जानकारी दी। सचिव ने बताया कि एमडी समिति ने किसान उत्पादक कंपनियों को बीजी राशि में 50% रियायत प्रदान करने की सिफारिश की है। बोर्ड एमडी समिति की सिफारिश से सहमत नहीं था और उसने फैसला किया कि यदि नीलामीकर्ता एफपीओ (जिसमें प्रत्येक किसान सदस्य शेयरधारक है) से संबंधित हैं, तो उन्हें नीलामी में बीजी राशि का 200% पूल/व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी।

मद संख्या 9: श्री वीपी राजेंद्रन, चेम्मानार द्वारा दायर रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 16324/2021 में दिनांक 14.12.2023 के निर्णय के अनुपालन में स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का आदेश

बोर्ड ने नोट किया

मद संख्या 10: स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा इलायची उत्पादक संघ, वंदनमेट्टू द्वारा दायर रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 9208/2024 के दिनांक 7.03.2024 के निर्णय और केरल इलायची डीलर्स चैंबर्स द्वारा माननीय केरल उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 12474/2024 के दिनांक 27.03.2024 के निर्णय के अनुपालन में जारी आदेश

10.1 सचिव ने पृष्ठभूमि, सुनवाई के दौरान इलायची उत्पादक संघ और केरल इलायची डीलर्स चैंबर्स द्वारा उठाई गई चिंताओं और सचिव द्वारा नीलामी में डीलरों द्वारा पूइंग की शर्तों को संशोधित करने के लिए स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के बारे में जानकारी दी (नीलामी में डीलरों द्वारा 25 टन तक पूल करने के मौजूदा परिपत्र के अनुसार) कि "किसी भी नीलामी में लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा पूल की गई इलायची नीलामी में रखी गई कुल मात्रा (मात्रा) के 25% से अधिक नहीं होगी और लाइसेंस प्राप्त

नीलामकर्ता इसे सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार, निदेशक (विपणन) ने 31.05.2024 को एक संशोधित परिपत्र जारी किया।

10.2 सचिव ने कहा कि एक अनियमितता यह पाई गई कि नीलामी में एक ही डीलर ने उसी लॉट को खरीद लिया जिसे उसने नीलामी में खरीदा था। आदेश के परिणामस्वरूप, निदेशक (विपणन) ने नीलामीकर्ताओं को दिनांक 3.06.2024 को परिपत्र जारी कर निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी डीलर को किसी भी नीलामी में उसके द्वारा पूल किए गए समान लॉट को खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 बोर्ड ने सचिव द्वारा लिए गए निर्णयों की पुष्टि की।

मद संख्या 11 इथाइलीन ऑक्साइड की स्वीकार्य सीमा से अधिक मौजूदगी के कारण हांगकांग और सिंगापुर द्वारा मसालों (करी पाउडर/मसाला) को वापस मंगाया गया

11.1 सचिव ने ईटीओ मुद्दे की पृष्ठभूमि की जानकारी दी तथा इस मामले पर बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण दिया।

11.2 विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

क) निर्यातक फर्मों (मैसर्स एवरेस्ट, आदि) द्वारा निर्यात अस्वीकृतियों को संबोधित करने के लिए की गई कार्रवाई को सत्यापित करना
ख) परीक्षण सुविधाओं वाले निर्यातक फर्मों के बीच ईटीओ परीक्षण विधियों पर जागरूकता पैदा करना
ग) एक तकनीकी समिति द्वारा ईटीओ संदूषण को कम करने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों को संशोधित करना
घ) आवश्यकतानुसार यूके, यूएसए आदि को निर्यात के लिए अनिवार्य परीक्षण बढ़ाना।
ई) आपूर्ति क्षेत्र में कीटनाशक अवशेष परीक्षण का मूल्यांकन करना
च) एफएसएसएआई, क्यूसीआई, स्पाइसेस बोर्ड आदि से मिलकर बनी समिति द्वारा स्पाइस हाउस प्रमाणपत्र स्टार रेटिंग प्रस्ताव की फिर से जांच करना और आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता उपायों के लिए न्यूनतम 75% मूल्यांकन अंक और टर्नओवर सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए शेष 25% अंक स्टार रेटिंग प्रस्ताव में शामिल करना।

मद संख्या 12: महापे, नवी मुंबई में स्पाइसेस बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय सह गुणवत्ता मूल्यांकन भवन की मरम्मत और नवीनीकरण तथा भूतल पर अतिरिक्त कार्यालय स्थान के निर्माण का प्रस्ताव

12.1 निदेशक (विपणन) ने परीक्षण के लिए नमूनों की संख्या में वृद्धि और आरओ- सह -गु.मू.प्र, मुंबई की मरम्मत और नवीनीकरण की आवश्यकता पर विचार करते हुए एसआरडी के लिए अतिरिक्त कार्यालय स्थान की आवश्यकता और पृष्ठभूमि प्रस्तुत की।

12.2 अध्यक्ष ने प्रत्येक प्रयोगशाला और प्रत्येक प्रयोगशाला में मशीन/उपकरण के आधार पर बोर्ड की सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता का आकलन प्रतिदिन विश्लेषण किए जा सकने वाले नमूनों की संख्या के आधार पर करने का सुझाव दिया।
12.3 उपर्युक्त के अधीन, बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मद संख्या 13: वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड के वार्षिक खाते

13.1 बोर्ड ने वार्षिक लेखा विवरण की विस्तार से जांच की। अध्यक्ष ने जानना चाहा कि बोर्ड के वार्षिक लेखा सीधे संसद में क्यों नहीं पेश किए गए। सचिव ने स्पष्ट किया कि सीएओ के नवीनतम आदेशों के अनुसार, वार्षिक लेखा विवरण पहले बोर्ड के पास आना चाहिए और बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पेश किया जाना चाहिए।

13.2 अध्यक्ष ने पाया कि मसाला पार्क, मेहसाणा के मामले में भूमि का मूल्य ह्रास के रूप में दिखाया गया है और इसके लिए कारण पूछा गया। यह स्पष्ट किया गया कि यह गुजरात सरकार को दिया गया अग्रिम था। लेकिन बाद में प्रस्ताव रद्द कर दिया गया और अग्रिम राशि चालू वित्त वर्ष में हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी।

बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों को लेखापरीक्षा के लिए सीएजी को प्रस्तुत करने की मंजूरी दी।

मद संख्या 14: मसालों के गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा विश्लेषित नमूनों की स्थिति
बोर्ड ने नोट किया।

मद संख्या 15: सिंगापुर और हांगकांग को भेजी जाने वाली परेषणों के लिए एथिलीन ऑक्साइड के लिए अनिवार्य परीक्षण की शुरुआत

यह मद संख्या । । के अंतर्गत पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

मद संख्या 16: 2023-24 के दौरान निर्यातोन्मुख उत्पादन की वार्षिक उपलब्धि
बोर्ड ने नोट किया।

मद संख्या 17: वर्ष 2023-2024 के दौरान इलायची (बड़ी और छोटी) उत्पादकता पुरस्कार
निदेशक (विकास) ने इलायची के उत्कृष्ट उत्पादन को तय करने के लिए अपनाए गए मानदंडों और विभिन्न दिशानिर्देशों को समझाया और बोर्ड ने उत्पादकता पुरस्कार के संबंध में सिफारिश पर ध्यान दिया।

मद संख्या 18: केरल के इडुक्की जिले में छोटी इलायची पर सूखे का प्रभाव और अतिरिक्त निधि का प्रस्ताव

उत्पादकों के प्रयासों का समर्थन करने और खेत स्तर पर उत्पादन और उत्पादकता को स्थिर करने के लिए, बोर्ड ने 300 हेक्टेयर में छोटी इलायची की पुनः रोपाई को लागू करने के लिए 2024-25 के दौरान 5.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की मांग करते हुए एमओसी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बोर्ड ने पाया कि प्रस्ताव को उचित अधिकारियों के साथ प्रदान किया जा सकता है, लेकिन स्वीकृत योजना में पुनः रोपाई के लिए मौजूदा प्रावधानों का भी उपयोग किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई दोहराव नहीं है।

मद संख्या 19: केसर उत्पादन एवं निर्यात विकास एजेंसी (एसपीईडीए) का पुनर्गठन

बोर्ड ने आगामी एसपीईडीए बैठक में प्रस्तुत करने के लिए पांच वर्षों में केसर के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात विकास के लिए कार्य योजना पर ध्यान दिया। यह स्पष्ट किया गया कि एसपीईडीए के पुनर्गठन के लिए मंत्रालय से नामांकन की आवश्यकता है और अधिकारियों को नामित करने के लिए मंत्रालय से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। सचिव ने बताया कि डॉ. प्रभात कुमार, बोर्ड के सदस्य और बागवानी आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एसपीईडीए में दो सदस्यों को नामित करेंगे।

बोर्ट ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

मद संख्या 20: आईसीआरआई, मायलाडुमपारा में आईपीएम सेवा केंद्र खोलने की स्वीकृति

निदेशक (अनुसंधान) ने बताया कि आईपीएम सेवा केंद्र आईसीएआर- भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर) और केरल कृषि विश्वविद्यालय (केएयू) के सहयोग से पाँच लाख रुपये के

वार्षिक आवर्ती व्यय पर कार्यान्वित किया जा रहा है। बोर्ड ने सेवा केंद्र के लिए सफलता संकेतकों जैसे कि बेची गई आईपीएम किट की मात्रा, अनुपालन कितना है, आदि के बारे में जानकारी मांगी। बोर्ड ने सुझाव दिया कि वर्ष के अंत में अगली बोर्ड बैठक में विचार के लिए आवश्यक डेटा और दायरे के साथ एक परीक्षण और वापसी की जाए।

मद संख्या 21: 'आईसीआरआई, स्पाइसेस बोर्ड, मायलाडुमपारा, इडुक्की जिले में हाई-टेक काली मिर्च नर्सरी का विकास' का मूल्यांकन' शीर्षक बाह्य वित्तपोषित परियोजना ।

बोर्ड ने समय पर परियोजना को लागू करने के लिए शुरू की गई कार्रवाई की पुष्टि की।

मद संख्या 22: 'उत्तराखंड राज्य में बड़ी इलायची की आगमन के माध्यम से हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 'क्षेत्र की उपयुक्तता की पहचान - एक पायलट परियोजना' शीर्षक परियोजना शुरू करने की मंजूरी

निदेशक (अनुसंधान) ने उत्तराखंड में क्रियान्वित की जा रही बड़ी इलायची परियोजना के बारे में विस्तार से बताया। चेयरमैन ने परियोजना की सराहना की तथा बताया कि अन्य राज्यों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी इलायची की खेती की जा सकती है, बशर्ते वहां की जलवायु परिस्थितियां अनुकूल हों। बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मद संख्या 23: काबी फार्म, आईसीआरआई-आरआरएस सिक्किम में इमारतों की बाड़ लगाने और मरम्मत का काम

निदेशक (अनुसंधान) ने सुझाव दिया कि काबी फार्म में बाड़ लगाने का काम 2.5 करोड़ रुपये की लागत से दो चरणों में पूरा किया जाएगा। यदि राज्य सरकार निधि से सहायता नहीं कर रही है, तो बोर्ड को आईईबीआर से संसाधन जुटाना होगा। बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मद संख्या 24: स्पाइसेस बोर्ड के भर्ती विनियम (आरआर)

बोर्ड ने भर्ती विनियमों के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया।

यह भी स्पष्ट किया गया कि संशोधित विनियमों के अनुमोदन तक पदोन्नति या सीधी भर्ती के लिए मौजूदा भर्ती विनियमों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

मद संख्या 25: स्पाइसेस बोर्ड की योजना का अनुमोदन: 'निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता (स्पाइस्ड)'

बोर्ड ने अनुमोदित ईएफसी पर ध्यान दिया।

बैठक अध्यक्ष और सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।